भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

जाली नोटों पर मास्टर निदेश, 2025- पहचान, रिपोर्टिंग और निगरानी

आरबीआई/2025-26/132
मुप्रवि(एफएनवीडी) सं. जी4 /16.01.05/2025-26 01 अप्रैल, 2025

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी बैंक

महोदय / महोदया,

जाली नोटों पर मास्टर निदेश, 2025 – पहचान, रिपोर्टिंग और निगरानी

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए और धारा 56 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर जाली नोटों की पहचान, रिपोर्टिंग और निगरानी के संदर्भ में बैंकों को कई दिशानिर्देश / अनुदेश / निर्देश जारी किए है।

2. इस विषय पर मौजूदा दिशानिर्देशों / अनुदेशों / निर्देशों को शामिल और अद्यतित करते हुए प्रस्तुत / संलग्नित मास्टर निदेश तैयार किया गया है ताकि बैंकों को जाली नोटों पर मौजूदा अनुदेशों का संदर्भ एक ही स्थान पर प्राप्त हो सके।

भवदीया

(सुमन नाथ)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक : यथोक्त

मुद्रा प्रबंध विभाग, चौथा तल, अमर भवन, पीएम मार्ग., फोर्ट, मुंबई 400001
Department of Currency Management, 4th Floor, Amar Building, P.M. Road, Fort, Mumbai 400001
फोन/Phone: (022) 2260 3000 / 4000 फैक्स/Fax: (022) 2266 2442 ईमेल/E-mail: cgmincdcm@rbi.org.in
हिन्दी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए ।

सूची

पैरा क्र.	विवरण
1.	जाली नोटों को जब्त करने का अधिकार
2.	जाली नोटों की पहचान
3.	जाली नोटों की जब्ती
4.	प्रस्तुतकर्ता को रसीद जारी करना
5.	जाली नोटों की पहचान - पुलिस और अन्य संस्थाओं को रिपोर्टिंग
6.	नोडल बैंक अधिकारी को नियुक्त करना
7.	काउंटरो से जारी करने, एटीएम मशीनों में भरने और भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैं) निर्गम कार्यालयों को विप्रेषण करने के पूर्व बैंक नोटों की जाँच करना
8	जाली नोटों का पता लगाने में सहायक उपकरणों का प्रावधान
9.	बैंक के प्रधान कार्यालय में जाली नोट सतर्कता कक्ष की स्थापना
10.	भारतीय रिज़र्व बैंक / सरकार को आंकड़ों की रिपोर्टिंग
11.	दंडात्मक प्रावधान
12	पुलिस प्राधिकरण से प्राप्त जाली नोटों का परिरक्षण
13.	जाली नोटों का पता लगाना - स्टाफ प्रशिक्षण
अनुलग्नक	
अनुलग्नक I	जाली बैंक नोट स्टैम्प
अनुलग्नक II	जाली नोट निविदाकर्ता को जारी की जाने वाली पावती रसीद
अनुलग्नक III	पुलिस को समेकित मासिक रिपोर्ट
अनुलग्नक IV	पुलिस को एफआईआर हेतु अनुरोध
अनुलग्नक V	एफएनवी कक्ष की गतिविधियों पर मार्च / सितंबर को समाप्त छमाही की रिपोर्ट
अनुलग्नक VI	जाली नोट सतर्कता कक्ष (एफएनवीसी) का भा.रि.बैं. को विवरण
अनुलग्नक VII	जाली नोटों पर भा.रि.बैं के निर्गम कार्यालय को मासिक रिपोर्ट
अनुलग्नक VIII	दंड प्रावधानों की व्याख्यात्मक उदाहरण
अनुलग्नक IX	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1967 से जारी किए गए नोटों के डिजाइन
अनुलग्नक X	मास्टर निदेश में समेकित / संदर्भित परिपत्रों की सूची

जाली नोटों पर मास्टर निदेश, 2025 – पहचान, रिपोर्टिंग और निगरानी

बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35ए और धारा 56 द्वारा प्रदत अधिकारों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैं.) द्वारा इस बात से संतुष्ट होकर कि जनहित में यह अपरिहार्य और आवश्यक है, एतद् द्वारा विनिर्दिष्ट निदेश जारी किया जा रहा है।

1. जाली नोटों को जब्त करने का अधिकार

जाली नोट निम्नलिखित द्वारा जब्त किए जा सकते हैं :

(i) सभी बैंक
(ii) भा.रि.बैं. के सभी निर्गम कार्यालय

2. जाली नोटों की पहचान

2.1 काउंटर पर प्रस्तुत किए गए बैंक नोटों की प्रामाणिकता का परीक्षण मशीनों द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार से, बैक ऑफिस / मुद्रा तिजोरी में थोक निविदा के माध्यम से प्राप्त बैंक नोट भी मशीनों के माध्यम से परीक्षित किए जाएंगे।

2.2 काउंटर पर प्राप्त नोटों में या बैक ऑफिस / मुद्रा तिजोरी में पाए गए जाली नोटों के लिए, यदि कोई है, ग्राहक के खाते में कोई क्रेडिट नहीं दिया जाएगा।

2.3 किसी भी स्थिति में, जाली नोटों को प्रस्तुतकर्ता को वापस नहीं लौटाया जाएगा अथवा बैंक शाखाओं द्वारा नष्ट नहीं किया जाएगा। बैंकों के स्तर पर पता लगाये गये जाली नोटों की जब्ती में असफलता को संबंधित बैंक की जाली नोटों के संचलन में इरादतन संलिप्तता मानी जाएगी और उन पर दण्ड लगाया जायेगा।

3. जाली नोट जब्त करना

जाली नोट के रुप में वर्गीकृत नोटों पर "जाली नोट" स्टैम्प अंकित कर उन्हें जब्त किया जाएगा (अनुलग्नक I)। इस प्रकार से जब्त प्रत्येक नोट का विवरण एक अलग रजिस्टर में प्रमाणीकरण के साथ अभिलिखित किया जाएगा।

4. प्रस्तुतकर्ता को रसीद जारी करना

यदि बैंक शाखा के काउंटर / बैक ऑफिस तथा मुद्रा तिजोरी में प्रस्तुत बैंकनोट जाली पाये जाते हैं, तो उक्त पैरा 3 के अनुसार नोट पर स्टैम्प लगाने के पश्चात निविदाकर्ता को निर्धारित फार्म (अनुलग्नक II) के अनुसार प्राप्ति सूचना रसीद जारी की जानी चाहिए । उक्त रसीद, चालू क्रमांक में, खजांची और जमाकर्ता द्वारा प्रमाणित की जाएगी । आम जनता की जानकारी के लिए इस आशय का नोटिस कार्यालयों / शाखाओं मे प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा । जहां निविदाकर्ता संबंधित रसीद पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए इच्छुक नहीं है, ऐसे मामलों में भी प्राप्ति सूचना रसीद जारी की जानी है।

5. जाली नोटों की पहचान - पुलिस और अन्य निकायों को रिपोर्टिंग

पुलिस को जाली नोट का पता लगने की घटना की रिपोर्टिंग करते समय, निम्न प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा:

5.1 एक ही लेन-देन में चार (04) अथवा इससे कम संख्या तक जाली नोटों की पहचान के मामलों में, नोडल अधिकारी द्वारा पुलिस प्राधिकरण या नोडल पुलिस स्टेशन को माह की समाप्ति पर संदिग्ध जाली नोटों के साथ

निर्धारित फार्मेट (अनुलग्नक III) में एक समेकित रिपोर्ट भेजी जाएगी । नोडल पुलिस स्टेशन की सूची भा.रि.बैं. के संबंधित निर्गम कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

5.2 एक ही लेन-देन में पाँच (05) या उससे अधिक संख्या तक जाली नोटों की पहचान के मामलों में, नोडल बैंक अधिकारी द्वारा तुरंत उन जाली नोटों को , निर्धारित प्रारूप में (अनुलग्नक IV) एफआईआर दर्ज करते हुए जांच के लिए स्थानीय पुलिस प्राधिकरण या नोडल पुलिस स्टेशन को अग्रेषित किए जाएंगे ।

5.3 मासिक समेकित रिपोर्ट / एफआईआर की एक प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय में गठित किए गए जाली नोट सतर्कता कक्ष (एफएनवी) को प्रेषित की जाएगी ।

5.4 संबंधित पुलिस प्राधिकारियों से उनको प्रेषित जाली नोटों (मासिक समेकित रिपोर्ट और एफआईआर दर्ज करने हेतु) की पावती प्राप्त की जानी चाहिए । यदि जाली नोट पुलिस को बीमाकृत डाक द्वारा भेजे गए हैं तो उनकी प्राप्ति सूचना अनिवार्य रूप से ली जायेगी और उन्हें रिकार्ड में रखा जाएगा । पुलिस प्राधिकरण से प्राप्ति सूचना प्राप्त करने के लिए उचित अनुवर्ती कार्रवाई आवश्यक है। यदि मासिक समेकित रिपोर्टों को प्राप्त करने / एफआईआर दर्ज करने में पुलिस की अनिच्छा के कारण बैंकों को किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो उसका निपटान जाली नोटों की जांच से संबंधित मामलों की समन्वय हेतु नामित पुलिस प्राधिकरण के नोडल अधिकारी के परामर्श से किया जाये ।

5.5 जाली नोटों के परिचालन को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों की आसानी से पहचान करने के क्रम में, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे बैंकिंग हॉल / क्षेत्र तथा काउंटर को सीसीटीवी की निगरानी में रखें तथा रिकॉर्डिंग को उनकी आंतरिक नीति के अनुसार संरक्षित करके रखें।

5.6 बैंक जाली नोटों के पहचान के स्वरुप / प्रवृत्तियों पर निगरानी रखेंगे और संदिग्ध स्वरुप / प्रवृत्तियों को तत्काल भा.रि.बैं. / पुलिस प्राधिकारी के संज्ञान में लाएँगे ।

5.7 जाली नोटों की पहचान और उक्त की सूचना पुलिस, भा.रि.बैं., आदि को देने में बैंकों द्वारा की गई प्रगति और इसकी समस्याओं पर विभिन्न राज्य स्तरीय समितियाँ यथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी), मुद्रा प्रबंधन पर स्थायी समिति (एससीसीएम), राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति (एसएलएससी), आदि की बैठकों में नियमित रूप से विचार–विमर्श किया जाएगा ।

5.8 बैंक शाखाओं में पकड़े गए जाली भारतीय नोटों के आंकड़े, नीचे पैरा 10 में दर्शाए अनुसार भा.रि.बैं. के संबंधित निर्गम कार्यालय को प्रेषित की जाने वाली मासिक विवरणियों में शामिल किये जाएंगे ।

5.9 भारतीय न्याय संहिता, 2023 में "जाली नोट" की परिभाषा में विदेशी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी मुद्रा नोट भी शामिल हैं । पुलिस और सरकारी एजेंसियों से अभिमत / राय देने हेतु प्राप्त संदिग्ध विदेशी मुद्रा नोटों के मामलों में, उन्हें यह सूचित किया जाये कि वे उक्त नोटों को नई दिल्ली स्थित सीबीआई की इंटरपोल विंग को उनसे पूर्व परामर्श के पश्चात भेजे।

5.10 भारत सरकार ने विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यू.ए.पी.ए.), 1967 के तहत उच्च गुणवत्ता जाली भारतीय बैंक नोट अपराध अन्वेषण नियम, 2013 बनाया है। अधिनियम की तीसरी अनुसूची उच्च गुणवत्ता वाले जाली भारतीय मुद्रा नोट को परिभाषित करती है। उच्च गुणवत्ता वाले जाली बैंक नोटों को तैयार करने, तस्करी या परिसंचरण की गतिविधियों को यू.ए.पी.ए., 1967 के दायरे मे लाया गया है ।

6. नोडल बैंक अधिकारी को नियुक्त करना

प्रत्येक बैंक जाली नोट का पता लगाने से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करने के लिए जिला-वार एक नोडल बैंक अधिकारी नामित करेगा और इसकी सूचना भा.रि.बैं. के संबंधित निर्गम कार्यालय

और पुलिस अधिकारियों को दी जाएगी। जाली नोट की पहचान की रिपोर्टिंग के सभी मामले, जैसा कि पैरा 5 में दर्शाया गया है, नोडल बैंक अधिकारी के माध्यम से किए जाएंगे

7. काउंटरो पर जारी करने, एटीएम मशीनों में भरने और भा.रि.बैं. के निर्गम कार्यालयों को विप्रेषण करने से पूर्व बैंकनोटों की जांच करना

7.1 बैंकों द्वारा अपना नकदी प्रबंधन कुछ इस प्रकार पुनर्निर्धारित किया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि रु. 100 और उससे अधिक मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को मशीन प्रसंस्करण द्वारा प्रामाणिकता की जांच के बिना पुन: संचलन में नही भेजा गया है । ये अनुदेश दैनिक नकदी प्राप्ति के परिमाण को ध्यान में लिए बगैर सभी शाखाओं पर लागू होंगे ।

7.2 एटीएम मशीनों से जाली नोटों के प्राप्ति संबंधित शिकायतों का निपटान करने और जाली बैंक नोटों के संचलन पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह अत्यावश्यक है कि एटीएम मशीनों में नोटों को भरने से पूर्व पर्याप्त सुरक्षा उपायों / नियंत्रणों को लागू किया जाये । एटीएम मशीनों के माध्यम से जाली नोटों का वितरण, संबंधित बैंक द्वारा जाली नोटों के संचलन के लिये किया गया एक प्रयास माना जायेगा । दिनांक 07 मार्च 2019 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.ओडी. सं. 1916/06.07.011/2018-19 के अनुसार यह व्हाईट लेबल एटीएम ऑपरेटरों पर भी लागू होगा।

7.3 मुद्रा तिजोरी विप्रेषणों / शेषों में जाली नोटों का पाये जाने को भी संबंधित मुद्रा तिजोरी द्वारा जान -बूझकर जाली नोटों के संचलन के लिये किया गया प्रयास माना जायेगा जिसके परिणामस्वरूप पुलिस प्राधिकरण द्वारा विशेष जांच और अन्य कार्रवाई जैसे संबंधित मुद्रा तिजोरी के संचालन का स्थगन की जा सकती है ।

8. जाली नोटों का पता लगाने में सहायक उपकरणों का उपयोग

8.1 जाली नोटों की पहचान को सुगम बनाने के लिए सभी बैंक शाखाएँ / निर्दिष्ट बैंक कार्यालय में अल्ट्रा-वायलेट लैम्प / नोट सॉर्टिंग / प्रमाणीकरण मशीन उपलब्ध होंगे । इसके अतिरिक्त, सभी मुद्रा तिजोरी शाखाओं में सत्यापन, प्रसंस्करण और छंटाई करने वाली मशीन उपलब्ध होंगी और मशीनों का इष्टतम उपयोग करेंगे । ये मशीनें भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित "नोट सत्यापन और फिटनेस सॉर्टिंग मानदंडो" के अनुरूप तथा 30 अक्टूबर 2024 के परिपत्र डीसीएम (एनपीडी) संख्या एस2193/09.45.000/2024-25 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा विधिवत प्रमाणित भारतीय मानकों के अनुरूप होनी चाहिए ।

8.2 बैंक, पहचान किये गये जाली नोटों सहित नोट छंटाई मशीनों के माध्यम से प्रसंस्कृत नोटों का दैनिक रिकार्ड रखेंगे ।

8.3 बैंक आम जनता के उपयोग हेतु काउंटर पर नोट गिनने वाली कम से कम एक मशीन (जिसमें दोनों तरफ संख्या प्रदर्शित करने की सुविधा हो) लगाने पर भी विचार करेंगे।

9. बैंक के प्रधान कार्यालय में जाली नोट सतर्कता कक्ष की स्थापना

9.1 प्रत्येक बैंक निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन हेतु अपने प्रधान कार्यालय में जाली नोट सतर्कता कक्ष स्थापित करेंगे:

(i) जाली नोटों के बारे में भा.रि.बैं. द्वारा जारी अनुदेशों को बैंक की सभी शाखाओं / मुद्रा तिजोरियों(सीसी) में प्रचारित करना, इन अनुदेशों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखना, वर्तमान अनुदेशों के अनुसार जाली नोटों की पहचान से संबंधित आंकड़े को समेकित करना और इसकी रिपोर्ट भा.रि.बैं., वित्तीय अन्वेषण इकाई - भारत (एफआईयू–आईएनडी) तथा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) को प्रेषित करना, पुलिस प्राधिकरण / निर्दिष्ट नोडल अधिकारी के साथ जाली नोटों के मामलों से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई करना।

(ii) इस प्रकार से संकलित जानकारी को बैंकों के केंद्रीय सर्तकता अधिकारी से साझा करना तथा उन्हें काउंटरों पर स्वीकृत / जारी किये गये जाली नोटों से संबंधित मामलों की रिपोर्ट देना ।
(iii) ऐसी मुद्रा तिजोरियों, जहाँ कमी / दोषपूर्ण / जाली नोट आदि का पता लगा है, की आवधिक आकस्मिक जाँच करना ।
(iv) सभी मुद्रा तिजोरियों / बैक आफिस में उपयुक्त क्षमता वाली नोट सॉर्टिंग मशीनों के परिचालन को सुनिश्चित करना और जाली नोटों के पता लगाने पर सावधानी पूर्वक निगरानी करना और उक्त का उचित रूप से रिकार्ड रखना ।
(v) यह सुनिश्चित करना कि नोटों के प्रसंस्करण तथा पारगमन के समय आकस्मिक जांच सहित पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ केवल छांटे गये और मशीनों से जांचे गये नोट ही एटीएम मशीनों में डाले जायें / काउंटरों से जारी किये जायें ।

9.2 एफएनवी कक्ष द्वारा छमाही आधार पर (वर्ष के मार्च और सितंबर की समाप्ति पर) अनुलग्नक V में निर्धारित प्रारूप के अनुसार, ईमेल के माध्यम से (dcmfnvd@rbi.org.in) मुख्य महाप्रबंधक, मुद्रा प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, अमर भवन, चौथी मंजिल, सर पी.एम.रोड, फोर्ट, मुंबई - 400001 को तथा भा.रि.बैं. के संबंधित निर्गम कार्यालय जिसके क्षेत्राधिकार में जाली नोट सतर्कता कक्ष कार्यरत है, को समाप्त हो रहे छमाही से एक पखवाड़े के भीतर स्थिति रिपोर्ट (Status Report) प्रेषित किया जाएगा।

9.3 जाली नोट सतर्कता कक्ष के पते को अद्यतन करने के उद्देश्य से बैंक प्रत्येक वर्ष ई-मेल के माध्यम से निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक VI) में विवरण, मुख्य महाप्रबंधक, मुद्रा प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को और संबंधित निर्गम कार्यालय को जिसके क्षेत्राधिकार में जाली नोट सतर्कता कक्ष कार्यरत हैं, प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल तक प्रस्तुत करेंगे।

10. भा.रि.बैं. / एनसीआरबी / एफआईयू – आईएनडी को आँकड़ों की सूचना

10.1 बैंक के एफएनवी कक्ष द्वारा

बैंक की सभी शाखाओं और मुद्रा तिजोरियों द्वारा पता लगाये गये जाली नोटों के आंकड़े को संबंधित बैंक के एफएनवी कक्ष द्वारा समेकित कर भा.रि.बैं. के संबंधित निर्गम कार्यालय, जिसके क्षेत्राधिकार में जाली नोट सतर्कता कक्ष कार्यरत हैं, को रिपोर्ट किया जाएगा। रिपोर्टिंग मासिक आधार पर निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक VII) में आगामी माह की 7 तारीख तक की जाएगी। यदि माह के दौरान कोई भी जाली नोट नहीं पाया जाता है तो उस स्थिति में "शून्य रिपोर्ट" प्रेषित की जाएगी ।

10.2 धनशोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) संशोधन नियम, 2013 के नियम 8(1) के तहत, बैंकों के प्रधान अधिकारियों को भी ऐसे नकदी लेन देन, जहां जाली नोट पाए गए हैं, की सूचना की रिपोर्ट, आगामी माह की 15 तारीख तक एफआईयू-आईएनडी को FINnet पोर्टल पर सूचना अपलोड के माध्यम से की जाएगी । इसी प्रकार, जाली नोटों की पहचान के आंकड़े एनसीआरबी, नई दिल्ली की बेबसाईट पर वेब आधारित सॉफ्टवेयर पर भी अपलोड किए जाएंगे ।

11. दंडात्मक प्रावधान

गंदे नोट विप्रेषण / मुद्रा तिजोरी (सीसी) में शेष राशि / एटीएम वितरण / काउंटर पर संवितरण में या बैंक द्वारा जानबूझकर जब्त न किए जाने पर पाए गए जाली नोटों के लिए निम्नलिखित दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे:

11.1 गंदे नोटों के विप्रेषण में जाली नोटों का पता लगाना

i. ₹5, ₹10 और ₹20 के मूल्यवर्ग: जाली नोटों के अनुमानित मूल्य की मात्रा तक हानि की वसूली।

ii. ₹50 का मूल्यवर्ग: जाली नोटों के अनुमानित मूल्य की मात्रा तक हानि की वसूली के अतिरिक्त, जाली नोटों के अनुमानित मूल्य का 50% दंड।

iii. ₹100 और उससे अधिक का मूल्यवर्ग: जाली नोटों के अनुमानित मूल्य की मात्रा तक हानि की वसूली के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचना के अनुसार एकल प्रेषण में किसी विशेष मुद्रा तिजोरी के लिए भा.रि.बैं. में संसाधित प्रति मिलियन (सीपीएम) गंदे नोटों के जाली नोटों से जुड़ा एक श्रेणीबद्ध जुर्माना:

सीपीएम	दंड
सीपीएम < 5	जाली नोटों के अनुमानित मूल्य का 100% दंड।
5 ≤ सीपीएम< 20	जाली नोटों के अनुमानित मूल्य का 150% दंड।
सीपीएम ≥ 20	जाली नोटों के अनुमानित मूल्य का 200% दंड।

सीपीएम = (₹100 और उससे अधिक मूल्य के जाली नोटों की संख्या x 10,00,000) / प्रेषित ₹100 और उससे अधिक मूल्य के जाली नोटों की संख्या

11.2 आरबीआई द्वारा निरीक्षण / लेखा परीक्षा के दौरान मुद्रा तिजोरी शेष में पाए गए जाली नोट

i. ₹5, ₹10 और ₹20 के मूल्यवर्ग: जाली नोटों के अनुमानित मूल्य की मात्रा तक हानि की वसूली।
ii. ₹50 का मूल्यवर्ग: जाली नोटों के अनुमानित मूल्य की मात्रा तक हानि की वसूली के अतिरिक्त, जाली नोटों के अनुमानित मूल्य का 50% दंड।
iii. ₹100 और उससे अधिक का मूल्यवर्ग: जाली नोटों के अनुमानित मूल्य की मात्रा तक हानि की वसूली के अतिरिक्त, जाली नोटों के अनुमानित मूल्य का 200% दंड।

11.3 एटीएम वितरण / काउंटर पर वितरण में पकड़े गए जाली नोट या बैंकों में पकड़े गए जाली नोटों को जानबूझकर जब्त न करने पर

एटीएम वितरण / काउंटर पर वितरण में पकड़े गए जाली नोट या बैंकों में पकड़े गए जाली नोटों को जानबूझकर जब्त न करने पर प्रति मामले ₹10,000 (दस हजार रुपये) का दंड लगाया जाएगा। यह व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों पर भी लागू होगा।

उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार दंड की गणना का उदाहरण अनुलग्नक VIII में प्रस्तुत है।

12. पुलिस प्राधिकरण से प्राप्त जाली नोटों का परिरक्षण

12.1 पुलिस प्राधिकरण / न्यायालयों से पुन: प्राप्त सभी जाली नोटों को बैंक की अभिरक्षा में सावधानीपूर्वक परिरक्षित किया जाए और संबंधित शाखा / मुद्रा तिजोरियों द्वारा उक्त का रिकार्ड रखा जाए। बैंक के जाली नोट सतर्कता कक्ष भी ऐसे जाली नोटों का शाखावार समेकित रिकार्ड रखेंगे।

12.2 इन जाली नोटों का सत्यापन संबंधित शाखा के प्रभारी अधिकारी द्वारा छमाही (31 मार्च और 30 सितंबर) आधार पर किया जाएगा । इन जाली नोटों को पुलिस प्राधिकरण से प्राप्ति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि हेतु परिरक्षित किया जाएगा ।

12.3 जाली नोट जो न्यायालय में मुकदमेबाजी के अधीन हैं उन्हें न्यायालय के निर्णय के पश्चात संबंधित शाखा / मुद्रा तिजोरियों के पास तीन वर्ष तक परिरक्षित किया जाएगा ।

12.4 परिरक्षण अवधि के पश्चात, इस प्रकार के नोटों को मामले के पूर्ण विवरण के साथ भा.रि.बैं. के संबंधित निर्गम कार्यालय, जिसके क्षेत्राधिकार में शाखा / मुद्रा तिजोरियाँ कार्यरत है, को प्रेषित किया जाएगा।

13. जाली नोटों का पता लगाना - स्टाफ प्रशिक्षण

13.1 यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि बैंकों में नकदी संव्यवहार करने वाला स्टाफ, बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताओं से पूर्ण रूप से परिचित हो ।

13.2 जाली नोट की पहचान के संबंध में बैंकशाखा के कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से, सभी बैंकनोटों के डिज़ाइन और सुरक्षा विशेषताओं की जानकारी को अनुलग्नक IX में प्रदान किया गया है। आम जनता के जानकारी के लिए उन्हें प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करें। ₹2000/-, ₹500/-, ₹200/-, ₹100/-, ₹50/-, ₹20/- तथा ₹10/- के नए डिजाईन के बैंक नोट की सुरक्षा विशेषताओं का विवरण https://website.rbi.org.in/hi/web/rbi/rbi-kehta-hai/know-your-banknotes लिंक पर उपलब्ध है।

13.3 नियंत्रक कार्यालय / प्रशिक्षण केंद्र नकदी का संचालन करने वाले सभी बैंक कार्मिकों के लिए वास्तविक भारतीय बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे ताकि प्राप्ति के स्थान पर ही जाली नोटों का पता लगाया जा सके । इन प्रशिक्षणों में जाली नोटों का पता लगाना, उन्हें जब्त करना तथा उनकी रिपोर्टिंग करना शामिल है । जब भी आवश्यक होगा, भा.रि.बैं. संकाय सहायता और प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करेगा।

अनुलग्नक ।

जाली बैंकनोट स्टैम्प

प्रत्येक बैंक नोट, जो, विभिन्न सुरक्षा विशेषताओं / मानदण्डों की जांच करने पर, जाली पाया गया है, "जाली बैंक नोट" की स्टैम्प के साथ चिन्हित किया जाएगा । इस उद्देश्य के लिए, **5 सें मी x 5 सें मी** के एक समान आकार के स्टैम्प का निम्नलिखित उत्कीर्णन के साथ उपयोग किया जाए ।

जब्त जाली बैंकनोट बैंक शाखा / मुद्रा तिजोरी बैंक का नाम हस्ताक्षर दिनांक

अनुलग्नक II

जाली नोटों के निविदाकर्ता को जारी की जानेवाली पावती रसीद

बैंक का नाम
पता :
रसीद की क्र.सं.:
दिनांक :

-- (निविदाकर्ता का नाम व पता) से प्राप्त निम्नलिखित नोट जाली है और इसलिए जब्त किया गया / किए गए है तथा तदनुसार स्टैम्प लगाया गया है|

उस नोट की क्रम संख्या जिसे जाली नोट समझा गया है	मूल्यवर्ग	किस मानदंड पर उस नोट को जाली समझा गया है

जाली नोटों की कुल सं.

(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर) (काउंटर स्टाफ के हस्ताक्षर)

(कार्यालय की मुहर)

अनुलग्नक III

पुलिस को समेकित मासिक रिपोर्ट

दिनांक : _______________

बैंक का नाम :
जिला :
नोडल बैंक अधिकारी का नाम व पता :
संदर्भ संख्या ....

पुलिस निरीक्षक
.... पुलिस स्टेशन

.... माह की समेकित मासिक रिपोर्ट

जाली नोटों का विवरण

पहचान करने की तारीख	बैंक शाखा / मुद्रा तिजोरी का नाम	नोट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का विवरण	मूल्यवर्ग / संख्या / शृंखला संख्या	सुरक्षा विशेषताएं जिनका उल्लंघन किया गया है	एनसीआरबी पोर्टल से प्राप्त यूनिक संदर्भ संख्या (यूआरएन)

2. जाली नोट सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न हैं।

3. कृपया प्राप्ति सूचना दें।

भवदीय

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
(आधिकारिक मुहर)
संलग्न :

अनुलग्नक IV

पुलिस को एफआईआर हेतु अनुरोध

दिनांक : _______________

बैंक का नाम
जिला:
नोडल बैंक अधिकारी का नाम और पता
संदर्भ सं. ....
पुलिस निरीक्षक
_____________ पुलिस थाना

महोदय,

जाली नोट / नोटों का पता लगाना -जाँच हेतु अनुरोध

हम इसके साथ हमारे कार्यालय में दिनांक __________को पकड़े गये निम्नलिखित जाली नोट संलग्न कर रहे हैं । जाली नोट / नोटों के विस्तृत ब्योरे नीचे प्रस्तुत है ।

मूल्यवर्ग/ नोटों की संख्या	जाली नोटों की क्रमिक संख्या	अनुमानित मूल्य	नोट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का विवरण	बैंक शाखा / मुद्रा तिजोरी का नाम और पता जहां पर जाली नोट पाये गए	बैंक की प्रविष्टि संख्या	एनसीआरबी पोर्टल से प्राप्त यूनिक संदर्भ संख्या (यूआरएन)

2. चूँकि, भारतीय मुद्रा के जाली नोटों का मुद्रण और / या संचलन में लाना भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 178 से 182 के अंतर्गत अपराध है, अत: आपसे अनुरोध है कि आप कृपया एफआईआर दर्ज कर आवश्यक जाँच करें । यदि न्यायालय में आपराधिक कार्रवाई करनी हो तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 398(1) और 398(3) के अनुसार आप पहले इन नोटों को किसी भी नोट प्रेस , फोरेंसीक साईन्स लेबोरेटरी आदि के पास जाँच के लिए भेजने हेतु व्यवस्था कर लें । प्रस्तुत विशेषज्ञ की राय को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 398 के तहत साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए । जाँच और / या न्यायालय में कार्रवाई पूरी हो जाने पर जाँच की विस्तृत रिपोर्ट / न्यायालय के निर्णय की प्रतिलिपि सहित जाली नोट हमारे पास भिजवा दिए जाए।

3. कृपया प्राप्ति सूचना दें ।

भवदीय,

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
आधिकारिक मुहर
संलग्न:

अनुलग्नक V

एफएनवी कक्ष की गतिविधियों पर रिपोर्ट – मार्च / सितंबर को समाप्त छमाही

बैंक का नाम:
एफ़एनवी कक्ष का पता :
एफएनवी कक्ष के प्रभारी अधिकारी का नाम और पदनाम:
टेलीफोन नंबर:
ईमेल आईडी:
ईमेल आईडी:

क्रम संख्या	विवरण	ब्यौरा				
1.	शाखाओं की कुल संख्या	मेट्रो	शहरी	अर्ध शहरी	ग्रामीण	कुल
2.	करेंसी चेस्ट (CC) की कुल संख्या					
3.	सीसीटीवी निगरानी के तहत शाखाओं की संख्या					
4.	सीसीटीवी निगरानी के तहत CC की संख्या					
5.	उन शाखाओं की संख्या जहां नोट प्रामाणीकरण मशीनें (एनएएम) स्थापित हैं					
6.	उन CC की संख्या जहां नोट छंटाई मशीनें (एनएसएम) संस्थापित हैं					
7.	क्या एनएसएम निर्धारित समय-सीमा के अनुसार प्रत्येक CC में प्राप्त सभी नोटों को संसाधित करने के लिए पर्याप्त हैं?					
8.	क्या सभी CC एनएसएम के माध्यम से संसाधित नोटों और उनके द्वारा पता लगाए गए जाली नोटों का रिकॉर्ड रखते हैं?					
9.	क्या महीने के दौरान पकड़े गए जाली नोटों की जानकारी अगले महीने के 7 दिन के अंदर भा.रि.बैं. को दी जाती है?	महीना	प्रस्तुत करने का दिनांक			
10.	क्या महीने के दौरान पकड़े गए जाली नोटों की जानकारी एफआईयू-आईएनडी पोर्टल (फिननेट) पर अगले महीने के 15 दिन के अंदर अपलोड की जाती है?	महीना	प्रस्तुत करने का दिनांक			

<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>विवरण</th><th>ब्यौरा</th></tr>
<tr><td>11.</td><td>क्या जाली नोटों की जानकारी एनसीआरबी पोर्टल पर मासिक आधार पर अपलोड की जाती है?</td><td><table><tr><td>महीना</td><td>प्रस्तुत करने का दिनांक</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>12.</td><td>क्या शाखाओं या CC में काउंटर पर जाली नोटों की स्वीकृति / जारी करने के दृष्टांतों की सूचना संबंधित बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी को दी गई है?</td><td></td></tr>
<tr><td>13.</td><td>पुलिस प्राधिकारियों के पास लंबित मामलों, जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है, की संख्या का ब्यौरा क्या है?</td><td><table><tr><td>वित्त वर्ष की शुरुआत में पुलिस प्राधिकारियों के पास लंबित मामले</td><td>वित्त वर्ष के दौरान पुलिस प्राधिकारियों को भेजे गए मामले</td><td>वित्त वर्ष के दौरान पुलिस प्राधिकारियों से प्राप्त मामले</td><td>वित्त वर्ष के अंत में पुलिस प्राधिकारियों के पास लंबित मामले</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>14.</td><td>क्या शाखाओं / CC में लंबित एफआईआर मामलों पर पुलिस प्राधिकारियों / ना मित नोडल पुलिस प्राधिकारी के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

एफएनवी कक्ष द्वारा पुलिस प्राधिकारियों के साथ किए गए ऐसे पत्राचार की तारीखें प्रस्तुत की जाएं।</td><td></td></tr>
<tr><td>15.</td><td>क्या समीक्षाधीन अवधि के दौरान किसी CC / शाखा में बड़ी संख्या में जाली भारतीय मुद्रा नोटों का पता चला है?

यदि हां, तो क्या एफएनवी कक्ष ने उन शाखाओं / CC में कोई आकस्मिक निरीक्षण किया था? विवरण प्रस्तुत करें।</td><td><table><tr><td>मुद्रा तिजोरी का नाम</td><td>आकस्मिक जांच की तारीख</td><td>निष्कर्ष संक्षेप में</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>16.</td><td>यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था मौजूद है कि केवल ठीक से छांटे गए और मशीन द्वारा जांच किए गए बैंकनोटों को ही एटीएम में डाला जाता है / काउंटर पर जारी किया जाता है</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>विवरण</th><th colspan="2">ब्यौरा</th></tr>
<tr><td rowspan="4">17.</td><td rowspan="4">एटीएम / काउंटर द्वारा जाली नोट वितरण के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या</td><td>छमाही की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या</td><td></td></tr>
<tr><td>छमाही के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या</td><td></td></tr>
<tr><td>छमाही के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या</td><td></td></tr>
<tr><td>छमाही के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या</td><td></td></tr>
</table>

(हस्ताक्षर)
प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम
(कार्यालय की मुहर)

अनुलग्नक VI

जाली नोट सतर्कता कक्ष (एफएनवीसी) का भा.रि.बैं. को विवरण

बैंक का नाम	एफएनवीसी का पता (पिनकोड सहित)	प्रभारी अधिकारी का नाम और पता	कोड सहित टेलीफोन संख्या	मोबाइल नंबर	एफएनवीसी का इ-मेल पता

उपरोक्त प्रस्तुत ब्योरे में किसी भी परिवर्तन को तत्काल सूचित करने के लिए हमने नोट कर लिया है ।

प्राधिकृत अधिकारी का नाम
पदनाम
दिनांक :

नोट: पूर्ण भरे हुए प्रारूप को एमएस-एक्सेल में ई-मेल से dcmfnvd@rbi.org.in पर और भा.रि.बैं. के संबंधित निर्गम कार्यालय जिसके क्षेत्राधिकार में जाली नोट सतर्कता कक्ष कार्यरत हैं, को अप्रैल 15 तक प्रेषित किया जाएगा।

अनुलग्नक VII

जाली नोटों पर भा.रि.बैं. को मासिक रिपोर्ट

दिनांक : ___________

बैंक का नाम:
एफएनवी कक्ष का पता:
प्रभारी अधिकारी का नाम और पदनाम:
दूरभाष सं:
ईमेल आईडी:

माह के दौरान बैंक में पाए गए जाली नोटों के ब्यौरे दर्शानेवाला विवरण
(आगामी माह की 7वीं तारीख तक रिपोर्ट किया जाएगा)

क) पाए गए जाली नोटों के ब्यौरे **:**

																					Denomination wise number of pieces
Name of the branch	Address of the branch	Branch code	District	State	Zone in which branch is located (East/West/ North/ South)	Type of detection	₹2 & ₹5	₹10 (Old)	₹10 (New)	₹20 (Old)	₹20 (New)	₹50 (Old)	₹50 (New)	₹100 (Old)	₹100 (New)	₹ 200	₹500 (Old-SBN)	₹500 (New)	₹1000 (Old-SBN)	₹ 2,000	Total number
						FIR (No. of pieces)															
						Non FIR (No. of pieces)															
						Total A															
Name of the Currency Chest	Address of the Currency Chest	Currency Chest code	District	State	Zone in which CC is located (East/West/ North/ South)	Type of detection	₹2 & ₹5	₹10 (Old)	₹10 (New)	₹20 (Old)	₹20 (New)	₹50 (Old)	₹50 (New)	₹100 (Old)	₹100 (New)	₹ 200	₹500 (Old-SBN)	₹500 (New)	₹1000 (Old-SBN)	₹ 2,000	Total number
						FIR (No. of pieces)															
						Non FIR (No. of pieces)															
						Total B															
						Grand Total (A+B)															

ख) पुलिस के पास दर्ज मामलों के ब्यौरे:

	माह के आरंभ में पुलिस के पास लंबित (समेकित योग)	माह के दौरान पुलिस को प्रेषित	पुलिस द्वारा माह के दौरान लौटाए गये	माह के अंत में पुलिस के पास लंबित (समेकित योग)
मामलों* की संख्या जहां एफआईआर दर्ज की गई				
एफआईआर के सभी मामलों में शामिल जाली नोटों के पीसेस की संख्या				

*प्रत्येक दर्ज एफआईआर एक मामला माना जाए ।

(हस्ताक्षर)
प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम
(कार्यालय की मुहर)
अग्रेषित –महाप्रबंधक / उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम विभाग.

अनुलग्नक VIII

पैरा 11 के तहत निर्धारित दंड प्रावधानों के अनुसार दंड की गणना पर उदाहरण

(I) गंदे नोट विप्रेषण में पाए गए नकली नोट:

एक मुद्रा तिजोरी ने निम्नलिखित गंदे नोट विप्रेषण को प्रसंस्करण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम कार्यालय को भेजा है और नीचे उल्लिखित नकली नोट पाए गए हैं:

मूल्यवर्ग	₹5	₹10	₹20	₹50	₹100	₹200	₹500	₹2000
विप्रेषण में नगद राशि की संख्या	1,30,000	21,50,000	13,40,000	11,00,000	11,92,000	90,000	1,70,000	20,000
प्रसंस्करण के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक में पाए गए जाली नोटों की संख्या	0	0	4	9	40	2	2	1

फिर पकड़े गए जाली नोटों के लिए संशोधित प्रावधानों के अनुसार लगाया गया जुर्माना निम्नानुसार होगा:

<u>a. 5, 10 और 20 रुपये के मूल्यवर्ग:</u> जाली नोटों के अनुमानित मूल्य की मात्रा तक हानि की वसूली यानी 20*4 = 80 रुपये।

<u>b. 50 रुपये के मूल्यवर्ग:</u> जाली नोटों के अनुमानित मूल्य की मात्रा तक हानि की वसूली यानी 50*9 = 450 रुपये और जाली नोटों के अनुमानित मूल्य का 50% दंड यानी 225 रुपये जुर्माना, यानी कुल 675 रुपये वसूल किए जाएंगे।

<u>c. ₹100 और उससे अधिक मूल्यवर्ग:</u> जाली नोटों के अनुमानित मूल्य की मात्रा तक हानि की वसूली यानी, ₹100*40 + ₹200*2 + ₹500*2 + ₹2000*1 = ₹7400 और सीपीएम के अनुसार दंड 30.57 (>20), यानी जाली नोटों के अनुमानित मूल्य का 200% दंड = ₹14800.

सीपीएम = [(40+2+2+1) * 10,00,000] / [1192000+90000+170000+20000] = 30.57.

(II) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरीक्षण / लेखा परीक्षा के दौरान सी.सी. बैलेंस में पाए गए जाली नोट

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम कार्यालय द्वारा मुद्रा तिजोरी के लेखा परीक्षा / निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित जाली नोट पाए गए:

मूल्यवर्ग	₹5	₹10	₹20	₹50	₹100	₹200	₹500	₹2000
आरबीआई द्वारा निरीक्षण / लेखा परीक्षा के दौरान पकड़े गए नकली नोटों की संख्या	0	4	2	8	16	20	15	10

फिर पकड़े गए जाली नोटों के लिए संशोधित प्रावधानों के अनुसार लगाया गया जुर्माना इस प्रकार होगा:

a. ₹5, ₹10 और ₹20 के मूल्यवर्ग: जाली नोटों के अनुमानित मूल्य की मात्रा तक हानि की वसूली यानी, ₹10*4 + ₹20*2 = ₹80।

b. ₹50 का मूल्यवर्ग: जाली नोटों के अनुमानित मूल्य की मात्रा तक हानि की वसूली यानी, ₹50*8 = ₹400 और जाली नोटों के अनुमानित मूल्य का 50% दंड यानी ₹200, यानी कुल 600 रुपये वसूल किए जाएंगे।

c. ₹100 और उससे अधिक मूल्यवर्ग: जाली नोटों के अनुमानित मूल्य की मात्रा तक हानि की वसूली अर्थात ₹100*16 + ₹200*20 + ₹500*15 + ₹2000*10 = ₹33,100 और अनुमानित मूल्य का 200% दंड अर्थात ₹66,200, कुल ₹99,300 वसूल किए जाएंगे।

(III) एटीएम वितरण / काउंटर पर संवितरण में पकड़े गए जाली नोट या बैंकों में पकड़े गए जाली नोटों को जानबूझकर जब्त न करने के लिए

यदि आरबीआई अधिकारियों द्वारा बैंक के मुद्रा तिजोरी / एफएनवी सेल के निरीक्षण / लेखा परीक्षा के दौरान या जनता से प्राप्त शिकायत के आधार पर निम्नलिखित उल्लंघन की पुष्टि होती हैं:

क. बिना जब्त किए निविदाकर्ता को लौटाए गए जाली नोट
ख. काउंटर पर जाली नोटों का संवितरण
ग. एटीएम के माध्यम से जाली नोटों का वितरण।

ऐसे उल्लंघन के प्रत्येक मामले के लिए, ₹10,000/- का मौद्रिक जुर्माना लगाया जाएगा।

अनुलग्नक IX

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1967 से जारी किए गए नोटों के डिजाइन

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
I. 10 रुपये के नोट				
1967	137 x 63 मिमी.	अशोक स्तम्भ	हल्का जामुनी रंग। केंद्र में 10 का अंक।	नोट का मूल्य 14 भारतीय भाषाओं में। वर्तुल में सागर का दृश्य तथा पालदार नौका ।
1968	उक्त	उक्त	गहरा नीला रंग। वचन-खण्ड, गारण्टी खण्ड और हस्ताक्षर को द्विभाषी रूप में मुद्रित किया गया ।	ऊपर लिखी विशेषता के अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक का नाम हिन्दी में भी मुद्रित किया गया।
1969	उक्त	उक्त	गहरा नीला रंग. 'RUPEES TEN' के स्थान पर 'TEN RUPEES'	महात्मा गांधी का चित्र
1970	उक्त	अशोक स्तम्भ के साथ चक्र	भारतीय रिज़र्व बैंक ऊपर लिखा गया और RESERVE BANK OF INDIA को नीचे मुद्रित किया गया। हिन्दी और अंग्रेजी में लिखे वचन खण्ड, गवर्नर के हस्ताक्षरों का स्थान बदला गया। सत्यमेव जयते का मुद्रण किया गया। वाटर मार्क- विंडो और नम्बर पैनल को बड़ा किया गया।	मोहर द्विभाषी रुप में डाली गयी ।
1975	उक्त	उक्त	गहरा भूरा, गहरा पीला, नीला रंग। '10' का अंक गहरे कत्थई रंग में। उभरा हुआ मुद्रण। भाषाओं का पैनल बांई तरफ तथा अशोक स्तम्भ दांई तरफ।	हल्का कत्थई, चमकीला नीला और हरा रंग। एक घेरे में पेड़ की शाखा पर बैठे दो मोर। हिरण, घोड़े, पक्षी और कमल।
1992	उक्त	उक्त	समूची रंग योजना हल्का गुलाबी, मेजेन्टा और पीलापन लिए हुए।	शालीमार बाग।
1996	उक्त	वाटरमार्क विंडों में महात्मा गाँधी का चित्र और बहु-आयामी रेखाएँ।	समूची रंग-योजना में बैंगनी भूरा, संतरी और गुलाबीपन। महात्मा गाँधी का चित्र। छिपा हुआ सुरक्षा धागा, जिसे रोशनी के सामने करके देखने पर दोनों तरफ से 'भारत RBI' शब्द पढ़े जा सकते हैं।	एक दूसरे में गुंथी हुई फुलकारी, जिसमें हाथी, गैंडा और बाघ के मुँह दिखाए गए हैं। नोट का मूल्य 15 भारतीय भाषाओं में दिया गया है।
2006	उक्त	इस भाग में महात्मा गाँधी का चित्र, बहु - आयामी रेखाएं और मूल्यवर्गीय 10 अंक दिखाने वाला इलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क हैं, जिन्हे बैंकनोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अधिक अच्छी	विंडो में मशीन द्वारा पठनीय डिमेटलाइज्ड क्लियर टेक्स्ट चुंबकीय सुरक्षा धागा जिसपर **'भारत'** (हिंदी में) और **'RBI'** लिखा है अल्ट्रावायलेट रोशनी (जेनरिक) में नोट का पृष्ठभाग व मुखपृष्ठ पीले रंग का चमकीला दिखायी पड़ता है । चौड़ाई - 1.4 मि.मी.। चमकीले रेशे दोहरे रंग के हैं । वाटरमार्क विंडो के तुरंत बाद एक खड़ी पट्टी के बीचोबीच नोट के मुखपृष्ठ (खाली) और उसके पृष्ठ भाग (भरा हुआ) पर मुद्रित एक छोटी फूलदार डिज़ाइन एक दूसरे पर एकदम सटकर इस प्रकार बैठ जाती हैं कि नोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अंक एक ही दिखायी पड़ते हैं ।	बैंक नोट की छपायी के दौरान ही उसके पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष डाल दिया गया है ।

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
		तरह से देखा जा सकता हैं।		
2011	उक्त	उक्त	उक्त इसके अलावा, बैंकनोट के ऊपरी बायें और ऊपरी दायें कोने पर अंकित मूल्य के साथ, अग्र भाग पर ₹ प्रतीक की शुरुआत की गयी ।	बैंकनोट में पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष बना रहेगा । इसके अलावा, बैंकनोट के ऊपरी बायें और ऊपरी दायें कोने पर अंकित मूल्य के साथ, पृष्ठ भाग पर ₹ प्रतीक की शुरुआत की गयी ।
2016	उक्त	उक्त	उक्त इसके अतिरिक्त, नए संख्या पटल में, जहां पहले तीन अक्षरांकीय संप्रतीक (उपसर्ग) आकार में अपरिवर्तनशील है, वहाँ अन्य अंक संख्या पटल में बाये से दायें की आवर्धित फॉन्ट में मुद्रित है |	उक्त
2018	123 मिमी x 63 मिमी	महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में रू. 10 मूल्यवर्ग का बैंक नोट जिसमें महात्मा गांधी का चित्र तथा (10) का इलैक्ट्रोटाईप वाटरमार्क	नोट का आधार रंग चॉकलेट भूरा है । नोट के अग्र तथा पश्च दोनों भागों पर अन्य डिजाईन, ज्यामित्तीय पैटर्न हैं जिन्हें समग्र रंग योजना के साथ संरेखित किया गया है। मूल्यवर्ग अंक 10 के साथ आर पार मिलान देवनागरी में १० मूल्यवर्ग अंक मध्य में महात्मा गांधी का चित्र सूक्ष्म अक्षरों में 'RBI', 'भारत' और '10' 'RBI', 'भारत' उत्कीर्ण लेखों के साथ विंडोड गैर धातुयी सुरक्षा धागा महात्मा गांधी के चित्र के दायीं तरफ गारंटी खंड, वचन खंड सहित गवर्नर के हस्ताक्षर तथा भा.रि.बैं. का प्रतीक दायीं तरफ अशोक स्तम्भ का प्रतीक संख्या पैनल जिसमें ऊपर बाईं तरफ तथा नीचे दायीं तरफ छोटे से बढ़ते आकार के अंक पैनल ।	नए मूल्यवर्ग के बैंकनोट के पृष्ठ भाग पर सूर्य मंदिर कोणार्क का चित्र है जो देश की सांस्कृतिक विरासत का चित्रण करता है । बाईं ओर नोट के मुद्रण का वर्ष, स्लोगन सहित स्वच्छ भारत का लोगो, भाषा पैनल, देवनागरी मूल्यवर्ग अंक १० ।
II. 20 रुपये का नोट				
1972	147x63 मिमी.	अशोक स्तम्भ	केसरिया रंग। अशोक स्तम्भ दायें तरफ और भाषाओं का पैनल बाएँ तरफ ।	समांतर पैनल के मध्य में बड़े अक्षरों में हिन्दी में बीस रुपये और दोनों कोनों में 20 का अंक। संसद भवन का चित्र। बाएं तरफ नोट का मूल्य भारतीय भाषाओ में।
1975	उक्त	छोटा अशोक स्तम्भ जिसके चारों ओर चक्र की श्रृंखला। कागज पर सरेश लगा हुआ।	लाल, नीला, बैंगनी और हल्का पीला रंग। हल्के पीले रंग की कमल जैसी आकृति के ऊपर गहरे बैंगनी रंग में 20 का अंक ।भाषाओं का पैनल बायें तरफ और अशोक स्तम्भ दाएं तरफ। नोट का मुद्रण कागज के एकदम किनारे तक किया गया है, लेकिन चारों कोनों को सफेद ही छोड़ दिया गया है ।	ड्राई ऑफसेट प्रिंटिंग। लाल, नीला और बैंगनी रंग। बीचों-बीच कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ का पहिया। पीलापन लिए हुए नीले रंग में वाटरमार्क विन्डो। इस विन्डो के चारों ओर जो सजावटी डिजाइन बना है वह नोट की दूसरी ओर बने

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
			नाम, वाक्य-खंड और हस्ताक्षर द्विभाषी रूप में।	डिजाइन पर एकदम सही बैठता है।
2001	उक्त	महात्मा गांधी का चित्र	सुरक्षा धागा पूरी तरह से गुंथा हुआ जिस पर 'भारत' और 'RBI' लिखा हुआ है। नोट का रंग मुख्यतया लाली लिए हुए संतरी। अशोक स्तम्भ के स्थान पर महात्मा गांधी का चित्र गहरे लाल रंग में है। अशोक स्तंभ को नोट के बाएँ ओर निचले कोने में छोटे आकार में मुद्रित किया गया है। संख्या 20, रिज़र्व बैंक की मुहर, महात्मा गांधी का चित्र, रिज़र्व बैंक का प्रतीक, गारंटी और वचन खण्ड, गवर्नर के हस्ताक्षर तथा अशोक स्तम्भ को उभरा हुआ मुद्रित किया गया है। RBI शब्द और अंक 20 को सूक्ष्म अक्षरों में महात्मा गांधी के चित्र के पीछे वैकल्पिक रुप से मुद्रित है। एक पहचान चिह्न के रूप में नोट के बाएँ ओर छोटी खडी आयताकृति उभरे हुए रूप में मुद्रित गई है, ताकि कमजोर नज़र वाले भी नोट का मूल्यवर्ग आसानी से पहचान सकें। संख्या पटल में अंकों को लाल रंग में मुद्रित किया गया है।	नोट की मूल संकल्पना में नारियल वृक्षावली से घिरा भारतीय समुद्रतट दिखाई देता है। बायीं ओर भाषाई पैनल में नोट का मूल्य पन्द्रह भाषाओं में दिया गया है।
2006	उक्त	इस भाग में महात्मा गाँधी का चित्र, बहु - आयामी रेखाएं और मूल्यवर्गीय 20 अंक दिखाने वाला इलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क हैं, जिन्हे बैंकनोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अधिक अच्छी तरह से देखा जा सकता हैं।	विंडो में मशीन द्वारा पठनीय डिमेटलाइज्ड क्लियर टेक्स्ट चुंबकीय सुरक्षा धागा जिसपर **'भारत'** (हिंदी में) और **'RBI'** लिखा है अल्ट्रावायलेट रोशनी (जेनरिक) में नोट का पृष्ठभाग व मुखपृष्ठ पीले रंग का चमकीला दिखायी पड़ता है । चौड़ाई - 1.4 मि.मी.। चमकीले रेशे दोहरे रंग के हैं । वाटरमार्क विंडो के तुरंत बाद एक खड़ी पट्टी के बीचोबीच नोट के मुखपृष्ठ (खाली) और उसके पृष्ठ भाग (भरा हुआ) पर मुद्रित एक छोटी फूलदार डिज़ाइन एक दूसरे पर एकदम इस प्रकार बैठ जाती हैं कि नोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अंक एक ही दिखायी पड़ते हैं ।	बैंक नोट की छपायी के दौरान ही उसके पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष डाल दिया गया है ।
2012	उक्त	उक्त	उक्त इसके अलावा, बैंकनोट के ऊपरी बायें और ऊपरी दायें कोने पर अंकित मूल्य के साथ, अग्र भाग पर ₹ प्रतीक की शुरुआत की गयी ।	बैंकनोट में पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष बना रहेगा । इसके अलावा, बैंकनोट के ऊपरी बायें और ऊपरी दायें कोने पर अंकित मूल्य के साथ, पृष्ठ भाग पर ₹ प्रतीक की शुरुआत की गयी ।

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
2016	उक्त	उक्त	दोनों नंबर पैनल में संख्याएँ आकार में दायें से बाएँ आरोही क्रम में होंगी जबकि प्रथम तीन अल्फा न्यूमेरिक संख्याएँ (उपसर्ग) समान आकार में रहेंगी । संख्या "20", भा.रि.बैं. सील, महात्मा गांधी का चित्र, भा.रि.बैं. लीजेंड, गारंटी तथा वचन खण्ड, गवर्नर के हस्ताक्षर, अशोक स्तम्भ जो अभी तक उभरी हुई मुद्रण (उभार मुद्रण) में थे, अब से ऑफसेट में मुद्रित होंगे (बिना किसी उभार मुद्रण के) आगे, बैंक नोट के दायीं ओर आयताकार पहचान चिन्ह हटा दिया गया है । यद्यपि, पश्च भाग के रंग में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, अग्र भाग का रंग हल्का है (उभार मुद्रण हटाने के कारण) अभी तक महात्मा गांधी के चित्र के बाईं ओर एक लम्बवत बैंड में "20" मूल्यवर्ग का अंक दिखाते हुए एक लेटेंट इमेज थी । लेटेंट इमेज तभी दिखाई देती थी जब बैंक नोट को आँख के स्तर पर समानान्तर लाया जाए । यह विशेषता अभी नहीं है ।	उक्त
2019	129x63 मिमी	महात्मा गांधी (नई) शृंखला में रू. 20 मूल्यवर्ग का बैंक नोट जिसमें महात्मा गांधी का चित्र तथा (20) का इलैक्ट्रोटाईप वाटरमार्क	मूल्यवर्ग अंक 20 के साथ आर पार मिलान देवनागरी में २० मूल्यवर्ग अंक । मध्य में महात्मा गांधी का चित्र । सूक्ष्म अक्षरों में 'RBI', 'भारत' और '20' 'RBI', 'भारत' उत्कीर्ण लेखों के साथ विंडोड गैर धातुयी सुरक्षा धागा । महात्मा गांधी के चित्र के दायीं तरफ गारंटी खंड, वचन खंड सहित गवर्नर के हस्ताक्षर तथा भा.रि.बैं. का प्रतीक । दायीं तरफ अशोक स्तम्भ का प्रतीक तथा इलैक्ट्रोटाईप वाटरमार्क (20) संख्या पैनल जिसमें ऊपर बाईं तरफ तथा नीचे दायीं तरफ छोटे से बढ़ते आकार के अंक पैनल ।	बाईं ओर नोट के मुद्रण का वर्ष, स्लोगन सहित स्वच्छ भारत का लोगो, भाषा पैनल, फ्लोरा की गुफाओं का चित्र, देवनागरी मूल्यवर्ग अंक २० ।
III. 50 रुपये का नोट				
1975	147 x 73 मिमी	अशोक स्तम्भ जिसके चारों ओर चक्र हैं.	बैंगनी रंग जिसमें नीले, हरे और हल्के जामुनी रंग की आभा है। 50 का अंक गहरे भूरे रंग में। भाषा-पैनल बांई ओर और दांई ओर अशोक स्तम्भ। चारों कोनों को सफेद छोड़ते हुए, कागज के किनारे तक मुद्रण किया गया है।	बैंगनी, भूरा और पीला रंग। बीच में संसद भवन। वाटरमार्क विन्डो हल्के बैंगनी रंग में, जिसके चारों ओर का सजावटी डिजाइन दूसरी ओर बने डिजाइन पर एकदम सही बैठता है।
1981	उक्त	उक्त	उभरा हुआ मुद्रण- गहरा नीला, पीला और लाल। अशोक स्तम्भ और भाषाएं गहरे बैंगनी रंग में तथा बाकी का नोट गहरे हरे	ड्राई-ऑफसेट पीलापन लिए हुए भूरा तथा समूचा नोट गहरे जामुनी

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
			और भूरे रंग में। अशोक स्तम्भ के नीचे सत्यमेव जयते।	रंग में। संसद भवन पर झण्डा दिखाया गया है।
1997	उक्त	वाटरमार्क विन्डो में महात्मा गांधी का चित्र तथा बहु-आयामी रेखाएँ	पीला, नीला और बैंगनी रंग। अशोक स्तम्भ के स्थान पर नीले रंग में महात्मा गाँधी का चित्र। सुरक्षा धागा नोट के भीतर पूर्णत: छिपा हुआ जिस पर 'भारत RBI' शब्द लिखे हुए हैं। वाटरमार्क के बाँए तरफ छोटी ठोस काली वर्गाकार आकृति, जो कमजोर नज़र वालों को नोट का मूल्यवर्ग पहचानने में मदद करती है।	भारतीय संसद का समग्र दृश्य जिसके ऊपर फुलकारी बनाई गई है और किनारे की तरफ बारीक नक्काशी की गई है। नोट का मूल्य 15 भारतीय भाषाओं में दिया गया है।
2005	उक्त	इस भाग में महात्मा गाँधी का चित्र, बहु - आयामी रेखाएं और मूल्यवर्गीय 50 अंक दिखाने वाला इलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क हैं, जिन्हे बैंकनोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अधिक अच्छी तरह से देखा जा सकता हैं।	विंडो में मशीन द्वारा पठनीय डिमेटलाइज्ड क्लियर टेक्स्ट चुंबकीय सुरक्षा धागा जिसपर **'भारत'** (हिंदी में) और **'RBI'** लिखा है अल्ट्रावायलेट रोशनी में नोट का पृष्ठभाग व मुखपृष्ठ पीले रंग का चमकीला दिखायी पड़ता है । चौड़ाई - 1.4 मि.मी.। हिंदी और अंग्रेजी में बैंक का नाम, रिज़र्व बैंक की मुहर, गारंटी और वचन खण्ड, बाईं ओर अशोक स्तंभ, तथा बैंक नोटों पर रिज़र्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर इन्टैग्लियो प्रिंटिंग में, अर्थात् मुद्रण में उभार और अधिक स्पष्ट दिखायी देता है । वाटरमार्क विंडो के बाईं ओर इन्टैग्लियो की गहरायी बढ़ाकर अर्थात् अधिक उभारदार एक वर्गाकार आकृति मुद्रित की गई है जो कमजोर नजर वालों को मूल्यवर्ग पहचानने में मदद करती है । चमकीले रेशे दोहरे रंग के हैं । वाटरमार्क विंडो के तुरंत बाद एक खड़ी पट्टी के बीचोबीच नोट के मुखपृष्ठ (खाली) और उसके पृष्ठ भाग (भरा हुआ) पर मुद्रित एक छोटी फूलदार डिज़ाइन एक दूसरे पर एकदम इस प्रकार बैठ जाती हैं कि नोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अंक एक ही दिखायी पड़ते हैं ।	बैंक नोट की छपायी के दौरान ही उसके पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष डाल दिया गया है ।
2012	उक्त	उक्त	उक्त इसके अलावा, बैंकनोट के ऊपरी बायें और ऊपरी दायें कोने पर अंकित मूल्य के साथ, अग्र भाग पर ₹ प्रतीक की शुरुआत की गयी ।	बैंकनोट में पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष बना रहेगा । इसके अलावा, बैंकनोट के ऊपरी बायें और ऊपरी दायें कोने पर अंकित मूल्य के साथ, पृष्ठ भाग पर ₹ प्रतीक की शुरुआत की गयी ।
2015	उक्त	उक्त	उक्त इसके अतिरिक्त, नए संख्या पटल में, जहां पहले तीन अक्षरांकीय संप्रतीक (उपसर्ग)	उक्त

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
			आकार में अपरिवर्तनशील है, वहाँ अन्य अंक संख्या पटल में बायें से दायें की ओर आवर्धित फॉन्ट में मुद्रित है		
2016	उक्त	उक्त	संख्या "50", भा.रि.बैं. सील, महात्मा गांधी का चित्र, भा.रि.बैं. लीजेंड, गारंटी तथा वचन खण्ड, गवर्नर के हस्ताक्षर, अशोक स्तम्भ जो अभी तक उभरी हुई मुद्रण (उभार मुद्रण) में थे, अब से ऑफसेट में मुद्रित होंगे (बिना किसी उभार मुद्रण के) आगे, बैंक नोट के दायीं ओर वर्ग के आकृति का पहचान चिन्ह हटा दिया गया है । यद्यपि, पश्च भाग के रंग में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, अग्र भाग का रंग हल्का है (उभार मुद्रण हटाने के कारण) अभी तक महात्मा गांधी के चित्र के बाईं ओर एक लम्बवत बैंड में "50" मूल्यवर्ग का अंक दिखाते हुए एक लेटेंट इमेज थी । लेटेंट इमेज तभी दिखाई देती थी जब बैंक नोट को आँख के स्तर पर समानान्तर लाया जाए । यह विशेषता अभी नहीं है ।	उक्त
2017	135 मिमी x 66 मिमी	महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में रू. 50 मूल्यवर्ग का बैंक नोट जिसमें महात्मा गांधी का चित्र तथा (50) का इलैक्ट्रोटाईप वाटरमार्क	नोट का आधार रंग फ़्लोरोसेंट नीला है। नोट के अग्र तथा पश्च दोनों भागों पर अन्य डिजाईन, ज्यामित्तीय पैटर्न हैं जिन्हें समग्र रंग योजना के साथ संरेखित किया गया है। मूल्यवर्ग अंक 50 के साथ आर पार मिलान देवनागरी में ५० मूल्यवर्ग अंक मध्य में महात्मा गांधी का चित्र सूक्ष्म अक्षरों में 'RBI', 'भारत' और '50' 'RBI', 'भारत' उत्कीर्ण लेखों के साथ विंडोड गैर धातुयी सुरक्षा धागा महात्मा गांधी के चित्र के दायीं तरफ गारंटी खंड, वचन खंड सहित गवर्नर के हस्ताक्षर तथा भा.रि.बैं. का प्रतीक दायीं तरफ अशोक स्तम्भ का प्रतीक तथा इलैक्ट्रोटाईप वाटरमार्क (50) संख्या पैनल जिसमें ऊपर बाईं तरफ तथा नीचे दायीं तरफ छोटे से बढ़ते आकार के अंक पैनल	बाईं ओर नोट के मुद्रण का वर्ष, स्लोगन सहित स्वच्छ भारत का लोगो, भाषा पैनल, रथ के साथ हम्पी का चित्र, देवनागरी मूल्यवर्ग अंक ५० ।
IV. 100 रुपये का नोट				
1967	157x 73 मिमी.	अशोक स्तम्भ	नीला रंग । बीच में बड़े आकार में 100 का अंक। दाईं ओर अशोक स्तम्भ की प्रतिमा।	बायीं ओर खडे भाषाओं के पैनल में 14 भारतीय भाषाएँ । वृत्ताकार चौखट की पृष्ठभूमि में हीराकुंड बाँध का चित्र।

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
1969	उक्त	उक्त	नीला रंग और वचनखण्ड, गारण्टी-खण्ड और गवर्नर के हस्ताक्षर द्विभाषी रूप में।	वृत्ताकार चौखट की पृष्ठभूमि में सेवाग्राम आश्रम और उसमें बैठे महात्मा गाँधी का चित्र।
1975	उक्त	अशोक स्तम्भ के साथ में चक्र	उभरा हुआ मुद्रण। गहरा नीला साथ में नीले, भूरे, गुलाबी और गहरे हरे रंग की आभा। 100 का अंक गहरे नीले रंग में। वाटरमार्क विन्डो का रंग हल्का नीला। रिज़र्व बैंक का नाम, वचनखण्ड, गारण्टी-खण्ड और गवर्नर के हस्ताक्षर द्विभाषी रूप में। भाषाओं का पैनल बांई ओर तथा दांईं ओर अशोक स्तम्भ। चारों कोनों को सफेद छोड़ते हुए, कागज के किनारे तक मुद्रण किया गया है।	उभरा हुआ मुद्रण। अनाज की गहरी नीली और भूरी छाया, कृषि कार्य, चाय के बागान, जल विद्युत परियोजना। वाटरमार्क विन्डो के चारों ओर बनी सजावटी आकृति दूसरी ओर बने डिजाइन में पूरी तरह से समा जाती है।
1979	उक्त	उक्त	एक ओर उभरा हुआ मुद्रण. नीला, लाल और गहरा हरा रंग। लाली और पीलापन लिए हुए हरे रंग की छाया। अशोक स्तम्भ के नीचे सत्यमेव जयते।	ड्राइ-ऑफसेट। काला और मरून रंग। हरापन लिए हुए नीले और भूरेपन की छाया।
1996	उक्त	वाटरमार्क विन्डो में महात्मा गाँधी का चित्र और बहु- दिशीय रेखाएं	मुद्रण में उभारदार और ऑफसेट दोनों विधियों का प्रयोग किया गया है। समग्र रंग योजना में नीले, भूरे और हरे रंग की गहनता। महात्मा गाँधी का चित्र। विंडों में सुरक्षा धागा सामने की ओर से थोड़ा छिपा और थोड़ा दिखाई देता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह से गुंथा हुआ है। इसपर "भारत" और "RBI" शब्द मुद्रित हैं। वाटरमार्क विन्डो के बाँई ओर काली ठोस तिकोनी आकृति उभरकर बनी हुई है जो कमजोर नज़र वालों को नोट का मूल्यवर्ग जानने में मदद करती है।	मुख्य रुप से कंचनजंगा पर्वत शिखर का समूचा दृश्य चित्रित किया है जिसके चारों ओर फुलकारी और जरदोशी के डिजाइन बने हैं। बायीं ओर भाषाओं के पैनल में 15 भाषाओं में नोट का मूल्य लिखा हुआ है।
2005	उक्त	इस भाग में महात्मा गाँधी का चित्र, बहु - दिशीय रेखाएं और मूल्यवर्गीय 100 अंक दिखानेवालाइलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क हैं, जिन्हे बैंकनोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अधिक अच्छी तरह से देखा जा सकता हैं।	100 रुपये के नोट में विंडो में मशीन द्वारा पठनीय डिमेटलाइज्ड क्लियर टेक्स्ट चुंबकीय सुरक्षा धागा जिसपर **'भारत'** (हिंदी में) और **'RBI'** लिखा है जो विशेष प्रकार से रंग बदलता है। अलग-अलग कोणों से देखने पर सुरक्षा धागा हरे से बदलकर नीला हो जाता है । अल्ट्रावायलेट रोशनी में नोट का पृष्ठभाग पीले रंग का चमकीला और मुखपृष्ठ पर अंकित पाठ चमकीला दिखायी पड़ता है । चौड़ाई - 2 मि.मी.। इन्टैग्लियो प्रिंटिंग अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी में बैंक का नाम, रिज़र्व बैंक की सील, गारंटी और वचन खण्ड, बाईं ओर अशोक स्तंभ का प्रतिक तथा बैंक नोटों पर रिज़र्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर के मुद्रण में उभार और अधिक स्पष्ट दिखायी देता है।	बैंक नोट की छपायी के दौरान ही उसके पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष डाल दिया गया है ।

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
			वाटरमार्क विंडो के बाईं ओर इन्टैग्लियो की गहरायी बढ़ाकर अर्थात् अधिक उभारदार एक त्रिकोण आकृति मुद्रित की गई है जो कमजोर नजर वालों को मूल्यवर्ग पहचानने में मदद करती है । चमकीले रेशे दोहरे रंग के हैं । वाटरमार्क विंडो के तुरंत बाद एक खड़ी पट्टी के बीचोबीच नोट के मुखपृष्ठ (खाली) और उसके पृष्ठ भाग (भरा हुआ) पर मुद्रित एक छोटी फूलदार डिज़ाइन एक दूसरे पर एकदम इस प्रकार बैठ जाती हैं कि नोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अंक एक ही दिखायी पड़ते हैं ।	
2011	उक्त	उक्त	उक्त इसके अलावा, बैंकनोट के ऊपरी बायें और ऊपरी दायें कोने पर अंकित मूल्य के साथ, अग्र भाग पर ₹ प्रतीक की शुरुआत की गयी ।	बैंकनोट में पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष बना रहेगा । इसके अलावा, बैंकनोट के ऊपरी बायें और ऊपरी दायें कोने पर अंकित मूल्य के साथ, पृष्ठ भाग पर ₹ प्रतीक की शुरुआत की गयी ।
2015	उक्त	उक्त	उक्त इसके अतिरिक्त, नए संख्या पटल में, जहां पहले तीन अक्षरांकीय संप्रतीक (उपसर्ग) आकार में अपरिवर्तनशील है, वहाँ अन्य अंक संख्या पटल में बाये से दायें की आवर्धित फॉन्ट में मुद्रित है| इसके अतिरिक्त, मंद दृष्टि के लोगों के उपयोग हेतु, नोटों के अग्रभाग पर दाएँ तथा बाएँ कोनों में चार कोनेदार ब्लीड रेखाएँ मुद्रित है| पहचान चिह्न (त्रिकोण) का आकार भी 50% बढ़ाया है|	उक्त
2018	142 x66 मिमी	महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में रू. 100 मूल्यवर्ग का बैंक नोट जिसमें महात्मा गांधी का चित्र तथा (100) का इलैक्ट्रोटाईप वाटरमार्क	मूल्यवर्ग अंक 100 के साथ आर पार मिलान । मूल्यवर्ग अंक 100 के साथ लेटेंट चित्र । देवनागरी में १०० मूल्यवर्ग अंक । मध्य में महात्मा गांधी का चित्र । सूक्ष्म अक्षरों में 'RBI', 'भारत' और '100' । कलर बदलाव के सहित 'RBI', 'भारत' उत्कीर्ण लेखों के साथ विंडोड गैर धातुयी सुरक्षा धागा । नोट को तिरछा करके देखने पर धागे का रंग हरे रंग से नीले रंग में परिवर्तित होता है । महात्मा गांधी के चित्र के दायीं तरफ गारंटी खंड, वचन खंड सहित गवर्नर के हस्ताक्षर तथा भा.रि.बैं. का प्रतीक । रूपये के प्रतीक के साथ मूल्यवर्ग अंक, नीचे दायीं ओर रंग बदलने वाली स्याही (हरे से नीला) में रू. 100, दायीं तरफ अशोक स्तम्भ का प्रतीक ।	बाईं ओर नोट के मुद्रण का वर्ष, स्लोगन सहित स्वच्छ भारत का लोगो, भाषा पैनल, रानी की वाव का चित्र, देवनागरी मूल्यवर्ग अंक १०० ।

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
			संख्या पैनल जिसमें ऊपर बाईं तरफ तथा नीचे दायीं तरफ छोटे से बढ़ते आकार के अंक पैनल । दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए महात्मा गांधी का चित्र इंटेग्लियो या उभरी हुई छपाई में, अशोक स्तम्भ का प्रतीक, माइक्रो टेक्स्ट रू. 100 के साथ उभरा हुआ त्रिकोणीय पहचान चिन्ह , नोट के बाईं तथा दायीं दोनों तरफ चार कोणीय ब्लीड रेखाएँ।	
V. 200 रुपये का नोट – महात्मा गांधी (नई) शृंखला				
2017	146 मिमी x 66 मिमी	महात्मा गांधी (नई) शृंखला में रू. 200 मूल्यवर्ग का बैंक नोट जिसमें महात्मा गांधी का चित्र तथा (200) का इलैक्ट्रोटाईप वाटरमार्क	नोट का आधार रंग चमकीला पीला है। नोट के अग्र तथा पश्च दोनों भागों पर अन्य डिजाईन, ज्यामित्तीय पैटर्न हैं जिन्हें समग्र रंग योजना के साथ संरेखित किया गया है। मूल्यवर्ग अंक 200 के साथ आर पार मिलान । मूल्यवर्ग अंक 200 के साथ लेटेंट चित्र देवनागरी में २०० मूल्यवर्ग अंक मध्य में महात्मा गांधी का चित्र सूक्ष्म अक्षरों में 'RBI', 'भारत' और '200' कलर बदलाव के सहित 'RBI', 'भारत' उत्कीर्ण लेखों के साथ विंडोड गैर धातुयी सुरक्षा धागा नोट को तिरछा करके देखने पर घागे का रंग हरे रंग से नीले रंग में परिवर्तित होता है । महात्मा गांधी के चित्र के दायीं तरफ गारंटी खंड, वचन खंड सहित गवर्नर के हस्ताक्षर तथा भा.रि.बैं. का प्रतीक रूपये के प्रतीक के साथ मूल्यवर्ग अंक, नीचे दायीं ओर रंग बदलने वाली स्याही (हरे से नीला) में रू. 200 दायीं तरफ अशोक स्तम्भ का प्रतीक संख्या पैनल जिसमें ऊपर बाईं तरफ तथा नीचे दायीं तरफ छोटे से बढ़ते आकार के अंक पैनल दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए महात्मा गांधी का चित्र इंटेग्लियो या उभरी हुई छपाई में, अशोक स्तम्भ का प्रतीक, माइक्रो टेक्स्ट रू. 200 के साथ उभरा हुआ पहचान चिन्ह H, नोट के बाईं तथा दायीं दोनों तरफ लाईनों के बीच दो वृतों के साथ चार कोणीय ब्लीड रेखाएँ ।	पृष्ठ भाग में सांची का स्तूप का चित्र है जो देश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है । बाईं ओर नोट के मुद्रण का वर्ष, स्लोगन सहित स्वच्छ भारत का लोगो, भाषा पैनल, देवनागरी मूल्यवर्ग अंक २०० ।
VI. 500 रुपये का नोट-महात्मा गांधी (नई) शृंखला				
2016	150 mm x 66mm	महात्मा गांधी का चित्र तथा	महात्मा गांधी (नई) शृंखला में जारी किया गया है, रू. 500/-के बैंक नोट पूर्व के विनिर्दिष्ट बैंक नोट (एसबीएन) शृंखला से	नया विषय भारतीय ध्वज के साथ भारतीय विरासत स्थल लाल किला है।

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
		इलेक्ट्रोटाईप वाटरमार्क (500)	रंग, आकार, विषय, सुरक्षा विशेषताओं के स्थान तथा डिजाईन में अलग है। नोट का रंग पथरीला भूरा (स्टोन ग्रे) है। महात्मा गांधी के चित्र की अभिमुखता तथा संबन्धित जगह में बदलाव किया गया है। देवनागरी मूल्यवर्ग अंक ५०० । बैंक नोट में वे विशेषताएँ भी हैं जो नेत्रहीन व्यक्ति को मूल्यवर्ग की पहचान करने में सक्षम बनाता है। (उभरी हुई छपाई में महात्मा गांधी का चित्र, अशोक स्तम्भ प्रतीक, उभारदार मुद्रण में दायीं तथा बाईं ओर पाँच कोणीय ब्लीड रेखाएँ, रू. 500 के साथ वर्तुलाकार दायीं ओर तथा पहचान चिन्ह)	पीछे की ओर मुद्रण वर्ष "2016" तथा स्वच्छ भारत लोगो छपा है। मध्य की तरफ 15 भाषा पैनल । देवनागरी मूल्यवर्ग अंक ५०० ।
VII. 2000 रुपये का नोट-महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला				
2016	166 mm x 66mm	महात्मा गांधी का चित्र तथा इलेक्ट्रोटाईप वाटरमार्क (2000)	महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में जारी किया गया है। नोट का आधार रंग गहरा गुलाबी (मेजेंटा) है। नोट में दोनों अग्र तथा पश्च भाग में अन्य डिजाईन, समग्र रंग योजना के साथ ज्यामितीय पैटर्न है। मूल्यवर्ग अंक 2000 में आर पार मिलान मूल्यवर्ग संख्या 2000 के साथ छिपी हुई प्रतिमा देवनागरी में मूल्यवर्ग संख्या २००० मध्य में महात्मा गांधी का चित्र बैंकनोट के दायीं तरफ सूक्ष्म अक्षर "रिज़र्व बैंक" तथा "2000" कलर शिफ्ट के साथ बैंक नोट पर 'भारत', 'रिज़र्व बैंक' तथा 2000 लिखा हुआ खिड़कीनुमा सुरक्षा धागा। नोट को तिरछा करने पर सुरक्षा धागे का रंग हरे से नीले रंग में बदलता है। गारंटी खंड, गवर्नर के हस्ताक्षर सहित वचन खण्ड तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतीक को दायीं तरफ सरका दिया गया है। रूपये चिन्ह के साथ मूल्यवर्ग अंक 2000 रंग परिवर्तक स्याही के साथ (हरे से नीला) दायीं तरफ नीचे महात्मा गांधी के चित्र के दायीं तरफ अशोक स्तम्भ प्रतीक तथा इलेक्ट्रोटाईप (2000) वाटरमार्क संख्या पैनल में छोटे से बढ़ते आकार के अंक ऊपर बाईं तरफ तथा नीचे दायीं तरफ। नेत्रहीनों के लिए उभरी हुई छपाई	बायीं तरफ नोट के मुद्रण का वर्ष स्लोगन सहित स्वच्छ भारत लोगो भाषा पैनल मध्य की तरफ मंगलयान का चित्र जो देश की पहली अंतरग्रहीय अन्तरिक्ष पहल है, को दर्शाते हुए मूल्यवार अंक २००० देवनागरी में।

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
			में महात्मा गांधी का चित्र, अशोक स्तम्भ प्रतीक, ब्लीड रेखाएँ तथा पहचान चिन्ह। दायीं तरफ उभरी हुई छपाई में 2000 के समस्तरीय आयत दायीं तथा बाईं तरफ उभरी हुई छपाई में सात कोणीय ब्लीड लाईने लिखा हुआ खिड़कीनुमा सुरक्षा धागा। नोट को तिरछा करने पर सुरक्षा धागे का रंग हरे से नीले रंग में बदलता है।	

अनुलग्नक X

इस मास्टर निदेश में समेकित / संदर्भित परिपत्रों की सूची

क्रम संख्या	परिपत्र संदर्भ संख्या	दिनांक	विषय	मास्टर परिपत्र का पैरा
1.	डीसीएम एफएनवीडी जी 16 /16.01.01/2003-04	18.12.2003	एटीएम के माध्यम से जाली नोट जारी करना	पैरा 6
2.	डीसीएम एफएनवीडी जी 31 /16.01.01/2003-04	08.04.2004	जाली नोटों की पहचान – प्रस्तुतकर्ता को रसीद जारी करना	पैरा 4
3.	डीसीएम एफएनवीडी जी 3 /16.02.03/2004-05	06.07.2004	जाली नोटों की पहचान – रसीद जारी करना	पैरा 4
4.	डीसीएम एफएनवीडी जी 23 /16.01.01/2005-06	07.12.2005	एटीएम के माध्यम से जाली नोट जारी करना – जाली नोट सतर्कता कक्ष का गठन	पैरा 6 तथा 8
5.	डीसीएम एफएनवीडी जी 37 /16.08.08/2006-07	28.03.2006	बैंकों के एटीएम से निकले जाली नोटों की पहचान	पैरा 6 तथा 8
6.	डीसीएम एफएनवीडी जी 18 /16.01.01/2006-07	01.06.2007	मुद्रा तिजोरी विप्रेषण में बैंकों से प्राप्त जाली नोटों की पहचान करना	पैरा 6
7.	डीसीएम सं डीआईआर. एनपीडी. 3158/09.39.00 / 2009-10	19.11.2009	नोटों की छंटनी / प्रसंस्करण – नोट सॉर्टिंग मशीन की स्थापना	पैरा 6
8.	डीसीएम सं सीआईआर. एनपीडी. 3161/09.39.00 (नीति)/ 2009-10	19.11.2009	नोटों की छंटनी / प्रसंस्करण – नोट सॉर्टिंग मशीन की स्थापना	पैरा 9
9.	डीसीएम एफएनवीडी सं 502/16.01.05/2011-12	25.07.2011	जाली बैंक नोटों की पहचान करना – संशोधित प्रक्रिया	पैरा 5
10.	डीसीएम एफएनवीडी सं 5063/16.02.22/2011-12	09.05.2012	जाली नोटो की पहचान तथा रिपोर्टिंग हेतु प्रक्रिया – मौद्रिक नीति – 2012-13	पैरा 6
11.	डीसीएम एफएनवीडी सं 2165/16.21.005/2012-13	16.11.2012	जाली नोटो की पहचान तथा रिपोर्टिंग– मौद्रिक नीति 2012-13 का दूसरी तिमाही समीक्षा	पैरा 6
12.	डीसीएम एफएनवीडी सं 776/16.01.05/2015-16	27.08.2015	जाली नोटों की पहचान – समीक्षा	पैरा 2
13.	डीसीएम एफएनवीडी सं 1134/16.01.05/2016-17	27.10.2016	जाली नोटों की पहचान तथा जब्ती	पैरा 5
14.	डीसीएम एफएनवीडी जी-7 / 16.01.05/17-18	15.01.2018	जाली नोटों की पहचान तथा जब्ती – एफआईआर दर्ज करना	पैरा 5
15.	डीपीएसएस.सीओ.ओडी सं. 1916/06.07.011/2018-19	07.03.2019	भारत में व्हाईट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) – दिशानिर्देशों की समीक्षा	पैरा 6
16.	डीसीएम एनपीडी सं S488/18.00.14/2022-23	01.07.2022	नोट सॉर्टिंग मशीन – प्रामाणीकरण तथा फिटनेस सॉर्टिंग मानक	पैरा 9
17.	डीसीएम (एनपीडी) सं. S2193/09.45.000/2024-25	30.10.2024	बैंकनोट सॉर्टिंग मशीन: भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी मानक	पैरा 5